

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.16(3)चि.स्वा./ग्रुप-2/2017


जयपुर, दिनांक : 05.11.2017

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.10.2017 के द्वारा चिकित्सा सेवा हेतु पृथक से मेडिकल कैंडर का गठन किये जाने के संबंध निम्न कमेटी का गठन किया गया था:-


- |    |   |   |            |
|----|---|---|------------|
| 1. | डा. वी. के. माथुर, निदेशक, जन स्वास्थ्य,<br>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।      | - | अध्यक्ष    |
| 2. | डा. गिरीश पाराशर, अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)<br>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर। | - | सदस्य सचिव |
| 3. | श्री जे. एल. जांगिड, वित्तीय सलाहकार<br>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।          | - | सदस्य      |

उक्त कमेटी में डा. एम. पी. शर्मा, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, मुख्यालय, जयपुर को सदस्य के रूप में मनोनीत कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि कमेटी शीघ्र अपनी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगी।

  
(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
6. डा. एम. पी. शर्मा, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, मुख्यालय, जयपुर

  
शासन उप सचिव